संख्या–1196/XLI–A/20–54/2020

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
उत्तराखण्ड।

2–निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
श्रीनगर पौड़ी।

3– कुलसचिव,
वीर माधों सिंह भण्डारी,
उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

तकनीकी शिक्षा विभाग **देहरादूनः दिनांकः 11 दिसम्बर, 2020**

विषयः COVID-19 के कारण प्रभावित पठन–पाठन को ऑफलाईन मोड में पुनः संचालित करने हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पालीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग संस्थानों को भौतिक रूप से खोले जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **COVID-19** के कारण प्रभावित पठन–पाठन को दिनांक 15.12.2020 से ऑफलाईन मोड में पुनः संचालित करने हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पालीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग संस्थानों/छात्रावासों को भौतिक रूप से खोले जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं:–

1- COVID-19 के दृष्टिगत संस्थानों को खोले जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देशः–

1. विभाग द्वारा ऑफलाइन कक्षाएं दिनांक 15–12–2020 से प्रारम्भ की जायेगी।
2. संस्थान खोले जाने से पूर्व उन्हें पूरी तरह सेनेटाईज किया जाएगा तथा यह प्रक्रिया प्रतिदिन नियमित रूप से भी सुनिश्चित की जाएगी।
3. संस्थानों में सेनेटाईजर, हैण्डवाश, थर्मलस्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। यदि किसी छात्र या शिक्षक या अन्य कार्मिक को खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें Isolation room में तत्काल शिफ्ट कर प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाएगा।
4. संस्थान के प्रवेश द्वार पर हैण्ड सेनेटाईजर रखा जाएगा।
5. छात्रों को हैण्डवाश/हैण्ड सेनेटाईज कराने के पश्चात ही संस्थान में प्रवेश दिया जाएगा।

6. संस्थान में प्रवेश के समय तथा छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा तथा एक साथ सभी छात्रों की छुट्टी नही की जाएगी।
7. संस्थान में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार होंगे तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
8. सभी शिक्षकों, छात्रों तथा संस्थान के अन्य कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
9. कक्षाओं में छात्रों को 06 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
10. समय सारणी इस प्रकार बनायी जाएगी कि 50 प्रतिशत छात्रों को प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा 50 प्रतिशत छात्रों को सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन हो सके।
11. प्रत्येक प्रयोगशाला में उपकरण पर कार्य करते समय सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
12. छात्रों को उनके माता–पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के उपरान्त ही पठन–पाठन हेतु बुलाया जाएगा।
13. संस्थान में प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में वरिष्ठ कार्मिकों की एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो यह मानीटरिंग करेगी कि संस्थान में नियमितरूप से कोविड–19 के सम्बन्ध में जारी SOP का पालन किया जा रहा है।
14. छात्रों की छुट्टी के समय के लिए स्टाफ की टीम बनायी जाएगी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि छात्र बाहर जाते समय सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कर रहे हैं।
15. संस्थान के मुख्य स्थानों पर पोस्टर/संदेश/स्टीकर लगाये जाएंगे, जिस पर कोविड–19 से बचने हेतु सुझावों को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
16. संस्थान में थूकने पर कड़ाई से प्रतिबन्ध लागू किया जाएगा।
17. प्रत्येक वाशबेशिन में हाथ धोने हेतु साबुन रखा जाएगा।
18. संस्थान में कार्यक्रमों और उत्सव समारोहों का आयोजन नहीं किया जाएगा।
19. संस्थान में कॉमन रूम का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
20. छात्रों द्वारा रीडिंग रूम में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन किया जाएगा।
21. संस्थान परिसर को प्रतिदिन साफ किया जाएगा, जिसके रिकार्ड हेतु 01 पंजिका बनायी जाएगी।

22. यदि क्लास रूम में 01 क्लास समाप्त होने के पश्चात् दूसरी क्लास प्रारम्भ होती है, तो दूसरी क्लास प्रारम्भ होने से पहले क्लास रूम को सेनेटाईज किया जाएगा।
23. संस्थान में सभी कवर वाले डस्टबीनों का प्रयोग किया जाएगा।
24. संस्थान में कुछ मास्क सुरक्षित रखे जायेंगे। यदि कोई छात्र बिना मास्क के आता है तो उसे मास्क उपलब्ध कराया जाएगा।
25. ए0आई0सी0टी0ई0 / पी0सी0आई0 / राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी कोविड–19 से सम्बन्धित गाइडलाइन एवं निर्धारित मापदण्डों को पूरा किया जाएगा।
26. गृह मत्रांलय भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3 / 2020–डी0एम0–1(एक) दिनांक 30–09–2020 एवं शिक्षा मत्रांलय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) भारत सरकार के पत्र F.No. 11-16/2020Sch.4 दिनांक 05–10–2020 द्वारा विद्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में जारी SOP का भी पालीटेक्निक संस्थानों में पालन किया जाएगा।
27. पॉलीटक्निक व इन्जीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के छात्रों को सप्ताह के प्रथम दिन (सोमवार) को संस्थाओं में इस प्रकार से अध्यापन हेतु व्यवस्थित किया जायेगा कि एक दिन की प्रशिक्षण अवधि के प्रथम आधे भाग में, आधी संख्या में छात्र प्रयोगात्मक कार्य करेंगे तथा शेष छात्र सैद्धान्तिक विषयों की कक्षाओं में भौतिक रूप से उपस्थित होंगे तथा एक दिन की प्रशिक्षण अवधि के द्वितीय आधे भाग मे प्रयोगात्मक व सैद्धान्तिक विषयों के छात्र आपस में अदला बदली करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
28. पॉलीटक्निक के द्वितीय वर्ष व अंतिम वर्ष के छात्रों को दिन (मंगलवार) को इस प्रकार से अध्यापन हेतु व्यवस्थित किया जायेगा कि द्वितीय वर्ष के छात्र एक दिन की प्रशिक्षण अवधि के प्रथम भाग में प्रयोगात्मक कार्य करेंगे तथा द्वितीय आधे भाग में अंतिम वर्ष के छात्र प्रयोगात्मक कार्य करेंगे।
29. इन्जीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम के द्वितीय व तृतीय वर्ष के छात्रों को सप्ताह के दिन (मंगलवार) को इस प्रकार से अध्यापन हेतु व्यवस्थित किया जायेगा कि द्वितीय वर्ष के छात्र एक दिन की प्रशिक्षण अवधि के प्रथम आधे भाग में प्रयोगात्मक कार्य करेंगे तथा द्वितीय आधे भाग में तृतीय वर्ष के छात्र प्रयोगात्मक कार्य करेंगे।
30. उक्त के अतिरिक्त इन्जीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के छात्रों को सम्बन्धित संस्थान में दिन (बुधवार) को इस प्रकार से अध्यापन हेतु व्यवस्थित किया जायेगा उक्त दिन की प्रशिक्षण अवधि के प्रथम आधे भाग में आधी संख्या में छात्र प्रयोगात्मक कार्य करेंगे तथा द्वितीय आधे भाग में शेष छात्र प्रयोगात्मक कार्य करेंगे।

31. इस प्रकार से उपरोक्त अध्यापन व्यवस्था की सप्ताह के शेष दिनों में पुनरावृत्ति की जायेगी।

2- COVID-19 के दृष्टिगत संस्थानों में छात्रावास को खोले जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देशः–

1. छात्रावास संचालित करने से पूर्व छात्रावास को सेनेटाइज किया जाएगा।
2. छात्रावास के प्रवेश द्वार पर ऑटोमेटिक हैण्ड सेनेटाईजर मशीन लगायी जाएगी।
3. छात्रावास में सेनेटाईजर, हैण्डवाश की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
4. अन्य प्रदेश से आने वाले छात्रों को कोविड–19 की नेगेटिव रिपोर्ट लाना आवश्यक होगा, जो छात्र किसी कारणवश नेगेटिव रिपोर्ट नहीं लाते हैं तो उनका कोविड–19 टेस्ट किया जाएगा एवं रिपोर्ट आने तक सम्बन्धित छात्र को आइसोलेशन में रखा जाएगा।
5. प्रत्येक छात्रावास में 04 कक्ष आइसोलेशन वार्ड के रूप में आरक्षित रखे जाएंगे।
6. छात्रों को रहने इत्यादि की सुविधा के लिए कोविड–19 हेतु जारी गाइड लाइन का पूर्णतः पालन किया जाएगा।
7. मैस में सेनेटाईजर, हैण्डवाश की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
8. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मैस, कामन रूम एवं अन्य स्थानों पर कोविड–19 की गाइड लाइन के अनुसार सामाजिक दूरी का पालन किया जाए।
9. छात्रावास में कार्यरत सभी कार्मिकों को भी कोविड–19 की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा ताकि किसी भी छात्र को कोविड–19 संक्रमण न हो।
10. छात्रावास, मेस, बाथरूम इत्यादि में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा सभी कवर वाले डस्टबीनों का प्रयोग किया जाएगा।
11. छात्रावास में प्राथमिक उपचार की सुविधा रखी जाएगी तथा नोडल अधिकारी सी.एम.ओ. के सम्पर्क में रहेंगे।
12. प्रत्येक छात्र का मोबाइल नम्बर सुरक्षित रखा जाएगा तथा छात्रावास में रहने वाले सभी छात्रों एवं संस्थाध्यक्ष का वॉहटसऐप पर 01 ग्रुप बनाया जाएगा, जिससे सूचनाओं का त्वरित आदान–प्रदान हो सके एवं समस्या का समयान्तर्गत समाधान किया जा सके।
13. किसी छात्र में कोविड–19 से सम्बन्धित लक्षण आने पर उसको आइसोलेशन में रखा जाएगा एवं तत्काल उपचार की कार्यवाही की जाएगी।

14. जिस कक्ष में कोविड–19 संक्रमित छात्र पाया जाएगा, उस कक्ष को सेनेटाइज कर 03 दिन के लिए सील किया जाएगा तथा उस कक्ष में रह रहे अन्य छात्रों को भी आइसोलेशन में रखा जाएगा।
15. छात्रों को छात्रावास में ले जाने के लिए जो वाहन उपयोग में लिए जाते हैं उन वाहनों को दिन में 02 बार (प्रातः एवं सांय) सेनेटाइज किया जाएगा।
16. वाहन में वाहन चालक एवं परिचालक सामाजिक दूरी बनाने के लिए उत्तरादायी होंगे।
17. यदि सम्भव हो सके तो वाहन में चढ़ते समय छात्रों की थर्मल स्कीनिंग की जाएगी।
18. यदि वातानुकूलित बसों का संचालन किया जा रहा हो तो उसमें तापमान 24 से 30 डिग्री निर्धारित किया जाएगा।
19. छात्रावास में किसी भी प्रकार का समारोह नहीं किया जाएगा।
20. छात्रावास में कॉमन रूम का उपयोग नहीं किया जाएगा।
21. छात्रावास के मुख्य स्थानों पर पोस्टर/संदेश/स्टीकर लगाये जाएंगे, जिस पर कोविड–19 से बचने हेतु सुझावों को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
22. छात्रावास में थूकने पर कड़ाई से प्रतिबन्ध लागू किया जाएगा तथा प्रत्येक वाशबेशिन में हाथ धोने हेतु साबुन रखा जाएगा।
23. छात्रावास में लगे कैमरों को चालू अवस्था में रखा जाएगा, जिससे यह देखा जाएगा कि छात्र कोविड–19 हेतु जारी गाइड लाइनों का पालन कर रहे हैं।
24. उपरोक्त व्यवस्थाओं हेतु छात्रावास में छात्रावास अधीक्षक एवं नोडल अधिकारी नामित किये जाएंगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या–**463/XXIV-B-5/2020-3(1)2020** दिनांक 24–10–2020 (**छायाप्रति संलग्न**) में दी गयी व्यवस्थाओं का संस्थाओं द्वारा अक्षरशः पालन किया जाएगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1196/XLI–A/20–54/2020तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, मा.मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

4— सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5— सदस्य सचिव, ए.आई.सी.टी.ई. नेल्सन मंडेला मार्ग, बसन्तकुंज, नई दिल्ली 110067
6— स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
7— महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
8— महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9— समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10— सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रूड़की।
11— समस्त राजकीय पालिटेक्निक संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड श्रीनगर गढ़वाल।
12— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(झरना कमठान)
अपर सचिव।